भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-855

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

तमिलनाडु में पीएसयू द्वारा शुरू की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाएं

†855. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा शुरू की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं की कुल संख्या और ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति, क्षेत्र और कार्य की प्रकृति क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर परियोजनाओं के लिए पीएसयू-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई है;

(ग) तमिलनाडु में प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या इसमें किसी विलंब अथवा लागत में वृद्धि होने की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, संबंधित सीपीएसई की सीएसआर नीति, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों और इस संबंध में समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसरण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में, की गई सीएसआर गतिविधियों और व्यय की गई निधियों का कंपनी-वार विवरण, सीपीएसई की संबंधित वेबसाइटों और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सीएसआर पोर्टल अर्थात www.csr.gov.in पर उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई द्वारा शुरू की गई प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा संबंधित सीपीएसई द्वारा प्रत्येक परियोजना की प्रकृति, दायरे और निष्पादन आवश्यकताओं के आधार पर और मौजूदा नियमों/नीतियों/दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। तमिलनाडु में सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में किसी भी प्रणालीगत देरी या लागत में वृद्धि की सूचना नहीं मिली है।
